रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122021-231955
CG-DL-E-17122021-231955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4904] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943
No. 4904] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5295(अ).—कीटनाशी अधिनियम, 1968(1968 का 46) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति ने कृषि में उपयोग के लिए प्रतिजीवी और प्रतिजीविय पदार्थों के चरणबद्ध समापन की यदि कोई विकल्प उपलब्ध हो, संभावना की खोज के लिए एक उप-समिति गठित की थी, चूंकि कृषि में इन पदार्थों के सतत प्रयोग से मानवों और पशुओं में इन प्रतिजीवियों का प्रतिरोध विकसित होने की जोखिम हो सकती है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उप-समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करके निम्नलिखित प्ररूप आदेश तैयार करने का प्रस्ताव किया है, जो उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और तदनुसार यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से जिसको उक्त आदेश अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि के समापन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और कोई व्यक्ति जो उक्त प्रारूप आदेश की बाबत आक्षेप या सुझाव देना चाहता है वह केन्द्रीय सरकार के विचार-विमर्श के लिए उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत कर सकेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात्:--

प्रारूप आदेश

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) उक्त आदेश का संक्षिप्त नाम कृषि में स्ट्रेप्टोमाइसिन+टेट्रासाइक्लाइन का प्रतिषेध आदेश, 2021 है ।

   (ii) ये इसके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कोई व्यक्ति भारत में 1 फरवरी, 2022 से स्ट्रेप्टोमाइसिन+टेट्रासाइक्लाइन का आयात, विनिर्माण या विनिर्मिती नहीं करेगा ।

3. 1 फरवरी, 2022 से स्ट्रेप्टोमाइसिन+टेट्रासाइक्लाइन के कृषि में उपयोग के लिए विनिर्माण, आयात या विनिर्मिती के रजिस्ट्रीकरण का कोई नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

4. 01.01.2024 से स्ट्रेप्टोमाइसिन+टेट्रासाइक्लाइन के कृषि में प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी ।

5. प्रत्येक राज्य सरकार उक्त अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसे सभी कदम जो राज्य में इस आदेश के निष्पादन के लिए वह उचित समझे उठाएगी ।

[फा. सं. 13035/12/2020-पीपी-I]

डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5295(E).—Whereas, the Registration Committee constituted under section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as 'the said Act') had constituted a Sub-Committee to explore the possibility of phasing out of antibiotic or antibacterial substances for use in agriculture if alternatives are available, as continued use of these substances in agriculture may pose risk of development of resistance to these antibiotics in human beings and animals;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 27 of the said Act, after considering the recommendations of the said Sub-Committee and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, proposes to make the following draft Order, which is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is accordingly hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are make available to the public;

And whereas, any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft Order may submit the same for consideration of the Central Government, within the period so specified, to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the said, the Central Government hereby propose to makes the following Order, namely:-

DRAFT ORDER

1. Short title and commencement.- (i) This Order may be called the Prohibition of Streptomycin + Tetracycline in agriculture Order, 2021.

   (ii) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. No person shall import, manufacture or formulate Streptomycin + Tetracycline for use in agriculture in India with effect from the 1st February, 2022.

3. No new certificate of registration to manufacture, import or formulate of Streptomycin + Tetracycline for use in Agriculture shall be issued with effect from the 1st February, 2022.

4. The use of Streptomycin + Tetracycline shall be completely banned in agriculture with effect from 01.01.2024.

5. Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and rules framed there under, as it considers necessary, for the execution of this order in the state.

[F. No. 13035/12/2020-PP-I]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy. (Plant Protection)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.17 22:23:37 +05'30'